न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 107 /2016

1. श्रीमती मुकेशी बेवा इन्द्रराज जाति मीना निवासी ग्राम निठार तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
2. चेतराम } पिसरान इन्द्रराज
3. गोरू }
4. पूनम } पुत्रीयान इन्द्रराज
5. पूजा
6. भावना

} जाति मीना निवासी निठार तहसील भुसावर नावालिगान सरपरस्ती माता मुकेशी वेवा इन्द्रराज

.....अपीलान्टान

बनाम

1. श्रीमती स्वरूपी पुत्री सौना धर्मपत्नी श्रीराम जाति मीना निवासी ग्राम मोहया तहसील बजीरपुर जिला सवाई माधौपुर
2. श्रीमती उगन्ती पुत्र सौना धर्मपत्नी हरगोन जाति मीना निवासी मोहया तहसील बजीरपुर जिला सवाई माधौपुर
3. श्रीमती मलूकी पुत्री सौना धर्मपत्नी रघुनाथ जाति मीना निवासी मीठोली तहसील हिन्डौन जिला करौली

असल रेस्पोडेन्टान

4. श्रीमती मोटा वेवा सौना जाति मीना निवासी ग्राम निठार तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
5. लक्ष्मन पुत्र सौना जाति मीना निवासी ग्राम निठार तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

तरतीवी रैस्पोडेन्टान

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 15.07.2016 तहसीलदार भुसावर बाबत इन्तकाल नम्बर 3083 वाकै ग्राम निठार तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

श्रीमती मुकेशी वगैरा बनाम श्रीमती स्वरूपी वगैरा
अपील संख्या 107/2016

उपस्थित :–

1–श्री मोहनसिंह राणा, अभिभाषक अपीलान्टान,
2–रैस्पोडेन्टान अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 29.01.2021

अपीलान्टान ने यह अपील विरूद्व रैस्पोडेन्टान व खिलाफ आदेश तहसीलदार भुसावर दिनांक 15.07.2016 पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में नामान्तरकरण संख्या 3083 ग्राम निठार तहसील भुसावर रैस्पो0 के हक में स्वीकार किये जाने की आज्ञा दी गई है। नामान्तरकरण संख्या 3083 के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर दर्ज की गई। रैस्पो0 की तलवी की गई है। रैस्पो0 संख्या 1 से 5 एवं उनके वकील को कई आवाज दिलवाई गई लेकिन वो उपस्थित नहीं आये। अतः वकील अपीलान्टान की एक तरफा में बहस सुनी गई एवं वकील अपीलान्ट ने दिनांक 26.11.2020 लिखित बहस प्रस्तुत की।

योग्य अभिभाषक अपीलान्टान ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनों को दौहराते हुये जाहिर किया कि सोना पुत्र रामधन जाति मीना निवासी निठार तहसील भुसावर की मृत्यु दिनांक 16.06.2016 को होने पर उसकी विरासत का दाखिल खारिज संख्या 3083 दिनांक 15.07.2016 सोना की पत्नी मोटा, पुत्र लक्ष्मन, तीन पुत्रियॉ क्रमशः स्वरूपी, ऊगन्ती व मलूकी तथा सोना के मृतक पुत्र इन्द्रराज के वारिस अपीलान्टान के नाम खोला गया। इन्द्रराज की मृत्यु सोना की मृत्यु से पहले दिनांक 10.03.2009 को हो चुकी थी। उन्होने यह भी जाहिर किया कि विरासत का दाखिल खारिज तस्दीक करते समय तहसीलदार भुसावर द्वारा यह ध्यान नहीं दिया गया कि मृतक सोना मीना जाति का व्यक्ति है और मीना समुदाय पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2(2) के प्रावधान तब तक लागू नहीं होगे तब तक कि भारत सरकार द्वारा ऐसी अधिसूचना जारी करके लागू नही कर दिया जाता है और यह विवाद रहित है कि आदिनांक तक कोई अधिसूचना लागू नहीं की गई है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि नामान्तरकरण तस्दीक करते समय तहसीलदार भुसावर द्वारा इस ओर भी ध्यान दिया गया है कि अनुसूचित जनजाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

लागू नहीं होने से विरासत पुराने हिन्दू कानून से ही प्रशासित होगी। पूर्व में प्रचलित हिन्दू कानून अथवा अनुसूचित जनजाति समुदाय में सदियों से चली आ रही प्रथा के अनुसार पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों को कोई हक नहीं दिया गया है फिर भी सोना की पुत्रियॉ रैस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 के नाम दाखिल खारिज तस्दीक कर दिया गया जो काबिल खारिजी के है। वकील अपीलान्ट ने अपने कथन के समर्थन में आर.आर.डी. 1966 पेज 71 एफ.बी. (बी), आर.आर.डी. 2012 पेज 413, आर.आर.टी. 2014(2) पेज 901 (राज. हाई कोर्ट), आर.आर.टी. 2016(2) पेज 1437 (डी.बी.), आर.आर.डी. 2011 पेज 773, आर.एल.डब्ल्यू. 2007(1) पेज 214, आर.जे.बी. 2002 पेज 23 उद्धरित की। अन्त में वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। योग्य अभिभाषक अपीलान्टान के द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरों का अध्ययन किया गया। अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण संख्या 3083 दिनांक 15.07.2016 का अवलोकन किया गया। यह नामान्तरकरण मृतक सोना पुत्र रामधन कौम मीना की विरासत का खोला गया है। मृतक सोना की विरासत में उसकी पुत्रियों का नाम भी अंकित किया गया है। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में मृतक सोना की कौम मीना अंकित होन से मृतक की जाति "मीना" होना स्पष्ट है जो अनुसूचित जनजाति में शामिल है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2(2) इस प्रकार है:–

"अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई बात संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (25) के अर्थो के अन्दर वाली किसी अनुसूचित आदिम जाति के सदस्यों को तक लागू न होगी जब तक कि केन्द्रीय सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न करे।"

मृतक सोना जाति से मीना (अनुसूचित जनजाति) है। अनुसूचित जनजाति में कृषि विरासत में हिन्दू उत्तराधिकार नियम तभी लागू होगें जबकि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अधिसूचना जारी कर विर्निदिष्ट किया जावे और यह निर्विवादित है कि मीना जाति पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू किये जाने के संबंध में राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा कोई अधिसूचना जारी नहीं गई है। कृषक की मृत्यु होने पर उसकी विरासत मे

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

विरासत मे उसके पुत्र और उसकी विधवा को अधिकार प्राप्त हो जाते है। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 3083 दिनांक 15.07.2016 नियम के विपरीत होने से खारिज योग्य रहता है। प्रकरण पुनः निर्णय किये जाने हेतु तहसीलदार भुसावर को रिमान्ड किया जाना उचित पाते है।

अतः आदेश है किः–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण संख्या 3083 दिनांक 15.07.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार भुसावर को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये प्रचलित नियमों के तहत पुनः आदेश पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)